

न्यायालय— पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

(आप.प्रक.क्रमांक :- 338 / 2014)

(संस्थित दिनांक :- 05 / 05 / 2014)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मालनपुर

जिला—भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन।

### // विरुद्ध //

01. सूरजभान पुत्र मोहन सिंह उम्र 40 वर्ष।

निवासी :- इन्द्रमणी नगर ग्वालियर, जिला—ग्वालियर, (म.प्र.)।

..... अभियुक्त।

### // निर्णय //

( आज दिनांक : 03 / 08 / 2017 को घोषित )

01. आरोपी सूरजभान पर धारा :- 279 एवं 338 भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक :- 28 / 03 / 2014 को दोपहर लगभग 04:00 बजे गुरीखा के पास भिण्ड—ग्वालियर लोकमार्ग पर, अपने आधिपत्य के वाहन बस क्रमांक एम.पी.07 / पी / 0263 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया, उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर आहत रामनरेश को टक्कर मारकर अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की।

02. प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना सारवान निर्विवादित एक तथ्य है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 28 / 03 / 2014 को दोपहर लगभग 04:00 बजे गुरीखा के पास भिण्ड—ग्वालियर लोकमार्ग पर, वाहन बस क्रमांक एम.पी.07 / पी / 0263 के चालक द्वारा उक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर आहत रामनरेश को टक्कर मारकर उपहति कारित करने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी रामनरेश द्वारा दिनांक : 02 / 04 / 2014 को थाना मालनपुर पर की जाने पर, थाना मालनपुर में वाहन बस क्रमांक एम.पी. 07 / पी / 0263 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 77 / 2014 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। आहत रामनरेश के एक्स—रे रिपोर्ट में अस्थिभंग होने का उल्लेख होने के कारण आरोपी के विरुद्ध धारा 338 भा.द.सं. का इजाफा किया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। वाहन बस क्रमांक एम.पी. 07 / पी / 0263 को जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। जब्तशुदा वाहन के पंजीकृत स्वामी भारत सिंह का प्रमाणीकरण लेखबद्ध किया गया। आरोपी

सूरजभान को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। जब्तशुदा वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया गया। फरियादी रामनरेश, साक्षीगण रामविलास एवं पप्पू के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त रामनिवास के विरुद्ध धारा 279 एवं 338 भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपी एवं आहत नरेन्द्र के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्त को धारा 338 भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।

05. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी सूरजभान ने दिनांक :- 28/03/2014 को दोपहर लगभग 04:00 बजे गुरीखा के पास भिण्ड-ग्वालियर लोकमार्ग पर, अपने आधिपत्य के वाहन बस क्रमांक एम.पी.07/पी/0263 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?

02. अंतिम निष्कर्ष?

### सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

06. फरियादी/आहत रामनरेश अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 13/07/2017 से लगभग तीन साल पहले की शाम 04-05 बजे की है। वह ग्वालियर से बस में बैठकर ग्राम इकाहरा जा रहा था, जैसे ही वह गुरीखा पेड़ा के पास पहुँचा, तो वह बस से उतरते समय गिर गया था, जिससे उसके दाहिने हाथ एवं बाये कोहनी में चोट आई थी, जिसका उसके द्वारा बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर में ईलाज कराया गया था। उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मालनपुर में की थी, जो प्र.पी.02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने इस संबंध में घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.03 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने इस संबंध में उससे पूछताछ की थी। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी फरियादी रामनरेश अ.सा.02 ने आरोपी सूरजभान द्वारा दिनांक :- 28/03/2014 को दोपहर लगभग 04:00 बजे गुरीखा के पास भिण्ड-ग्वालियर लोकमार्ग पर, अपने आधिपत्य के वाहन बस क्रमांक एम.पी.07/पी/0263 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करने का तथ्य नहीं बताया है। इस वावत् फरियादी रामनरेश अ.सा.02 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 एवं पुलिस कथन प्र.पी.04 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभास की प्रकृति के हैं।

07. साक्षी पप्पू उर्फ मान सिंह अ.सा.01 ने भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घटोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी आरोपी सूरजभान द्वारा दिनांक :- 28/03/2014 को दोपहर लगभग 04:00 बजे गुरीखा के पास भिण्ड-ग्वालियर लोकमार्ग पर, अपने आधिपत्य के वाहन बस क्रमांक एम.पी.07/पी/0263 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया गया है।

08. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपी सूरजभान ने दिनांक :- 28/03/2014 को दोपहर लगभग 04:00 बजे गुरीखा के पास भिण्ड-ग्वालियर लोकमार्ग पर, अपने आधिपत्य के वाहन बस क्रमांक एम.पी.07/पी/0263 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया।

09. आरोपी तथा फरियादी के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख में है और फरियादी/आहत रामनरेश अ.सा.02 के न्यायायलीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।

### अंतिम निष्कर्ष

10. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन आरोपी सूरजभान के विरुद्ध धारा 279 भा.द.सं. के आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी सूरजभान को भा.द.सं. की धारा 279 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

11. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

12. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन बस क्रमांक एम.पी.07/पी/0263 उसके मुख्याराम आनंद गुर्जर के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगी नामा उन्मोचित किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।  
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद